पटना में दिनांक–17 अप्रैल, 2018 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

परिवहन विभाग

1. बिहार परिवहन (प्रवर्त्तन शाखा) संवर्ग नियमावली, 2003 के नियम–2 का उपनियम–(घ) में संशोधन। — 1. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

2. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, कंकड़बाग, पटना में क्रीडा (खेल) से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा कंकड़बाग कॉलोनी में पूर्व में हस्तांतरित 15 एकड़ जमीन और प्रस्तावित हस्तांतरण हेतु 3.86 एकड़ जमीन कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को हस्तांतरित करने एवं तदनुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

3. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित एवं कार्यरत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में संविदा आधारित नियोजित 349 कनीय अभियंताओं के नियोजन अवधि को उनके वर्तमान संविदा अवधि की समाप्ति से अगले एक वर्ष तक के लिए विस्तारित किये जाने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. सारण जिलान्तर्गत अंचल सदर छपरा के मौजा–दहियांवां, थाना नं०–284, खाता नं०–असर्वेक्षित, खेसरा नं०–असर्वेक्षित, रकबा–0.10 एकड़ (दस डिसमिल) सरकारी भूमि, जो छपरा नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत है, आई०बी० पोस्ट के निर्माण हेतु 7,80,000/–(सात लाख अस्सी हजार) रू० प्रति डिसमिल के दर पर 78,00,000/–(अठहत्तर लाख) रू० सलामी एवं सलामी के 2 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 39,00,000/– (उनचालीस लाख) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 1,17,00,000/–(एक करोड़ सत्रह लाख) के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

5. बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में नामित तीन महाप्रबंधकों की व्यवस्था की प्रतिस्थापना, दो मुख्य महाप्रबंधकों, यथा–मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) एवं मुख्य महाप्रबंधक (आपूर्ति श्रृंखला) से करने की स्वीकृति के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

6. बिहार राज्यान्तर्गत जमुई में राजकीय महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 6. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

7. गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के वृहदाकार स्वरूप, संलग्न कार्यालयों/आयोगों एवं पुलिस बल की उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या व भूमिका पर प्रभावी एवं गुणात्मक नियंत्रण के निमित्त विभागीय स्तर पर बढ़ते कार्यबोझ के मद्देनजर एक अतिरिक्त प्रशाखा के गठन सहित सचिवालय सेवा के कुल–08 (आठ) पदों के स्थायी रूप से सृजन के संबंध में। 7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं एवं तत्संबंधी कार्यों से जुड़े व्यक्तियों के पारिश्रमिक/मानदेय की दर में वृद्धि के संबंध में। 8. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

9. "बिहार पथ निर्माण विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2018" का गठन। 9. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

10. "बिहार पथ निर्माण विभाग, अवर अभियंत्रण (यॉंत्रिक) संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2018" का गठन। 10. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

11. "बिहार राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1980 (बिहार अधिनियम 2, 1981)" के आलोक में दिनांक–17 अप्रैल, 1981, 29 जून, 1989 तथा 16 अगस्त, 1989, निर्गत अधिसूचनाओं में दिये गये निदेश के संदर्भ में उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन द्वितीय राजभाषा (उर्दू) के समुचित विकास–विस्तार, प्रचार–प्रसार एवं सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य के जनसम्पर्क संबंधी महत्त्वपूर्ण कार्यालयों में "बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016" के अन्तर्गत विभिन्न कोटि के कुल–1765 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 11. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

12. एम०जे०सी०सं० 2301/2017 में दिनांक 21.03.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में डा० रामविलास सिंह, तत्कालीन निलंबित चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल कैमूर संप्रति बर्खास्त को सेवा में पुनर्स्थापित करते हुए बर्खास्तगी पूर्व की यथास्थिति बनाए रखने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

13. फार्मासिस्ट संवर्ग के गठन से संबंधित समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों का सृजन/उत्क्रमण की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)

14. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण–पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुदेशक संवर्ग के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं अन्य शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

15. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL) की बेगूसराय स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थान बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान (BTPS), मुजफ्फरपुर स्थित संयुक्त उपक्रम काँटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (KBUNL) तथा औरंगाबाद स्थित संयुक्त उपक्रम नवीनगर पावर जेनरेटींग कंपनी लिमिटेड (NPGCL) के ताप विद्युत प्रतिष्ठानों को कंडिका–8 के अनुसार भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न ईकाई/उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को पूर्णरूपेण हस्तांतरण के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी की राशि के लिए कुल 4137.00 करोड़ (चार हजार एक सौ सैंतीस करोड़) रूपये सब्सिडी स्वीकृत करते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 के अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिये 344.75 करोड़ (तीन सौ चौवालीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 4137.00 करोड़ (चार हजार एक सौ सैंतीस करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी० को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

वित्त विभाग

17. बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभांवितो को Subsidy/Scholarship इत्यादि की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु दिनांक–30.06.2018 तक उनके बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ने के संबंध में। — **17. स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

18. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की विभिन्न राज्य पोषित योजनाओं के बेहत्तर गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु त्रिस्तरीय निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के गठन तथा प्रबंधन एवं मोनेटरींग प्रणाली के संचालन पर अनुमानित 1363.26 लाख रू० (तेरह करोड़ तिरेसठ लाख छब्बीस हजार रू०) के वार्षिक व्यय की स्वीकृति। — **18. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–2703/2017 कृष्णानंद यादव बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य (एस०एल०पी० संख्या–12591/2010) में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में चतुर्थ चरण अन्तर्गत 28 संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के योग्य शिक्षक–शिक्षकेतर कर्मियों के अन्तर्लीनीकरण (Absorption) एवं नियमानुसार वेतन भुगतान हेतु स्वीकृति के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

पर्यटन विभाग

20. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौराधाम में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 48,53,00,000/– (अड़तालीस करोड़ तिरपन लाख) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम मद से 10,67,67,000/– रूपये (दस करोड़ सड़सठ लाख सड़सठ हजार रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना को योजना के कार्यकारी एजेंसी नामित करने की स्वीकृति। — **20. स्वीकृत।**

पर्यावरण एवं वन विभाग

21. पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2018 की स्वीकृति के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**